

**मुख्य सचिव कार्यालय, उ०प्र० शासन**  
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ  
दूरभाष संख्या: 0522-2289212, 2289296, फ़ैक्स-2239283  
email- csup@nic.in

**अति महत्वपूर्ण**  
संख्या: 252/पीएसएमएस/2020  
दिनांक : 06 अप्रैल, 2020

**समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**


कोविड-19 के नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

- 1- सभी चिकित्सालयों में medical waste के निस्तारण की व्यवस्था प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित की जाए ताकि कहीं भी कोई संक्रमण न फैले।
- 2- जिन पात्र व्यक्तियों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके राशन कार्ड बनाए जाएं। राशन कार्ड विहीन गरीब तथा निराश्रित व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे मूसाहार, थारू एवं वनटंगिया से सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची बना कर उन्हें रु.1000/- की आर्थिक सहायता/निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- 3- कई धार्मिक स्थानों में अत्यन्त कम आय होने के कारण वहां के पुजारियों, मुतवल्लियों, पादरी, ग्रन्थियों आदि को भी आवश्यकतानुसार सहायता/भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
- 4- लॉकडाउन पूरी तरह सुनिश्चित करने हेतु तथा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु मुहल्लों में सीमित संख्या में corona warriors के रूप में स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।
- 5- आटा चक्कियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा उनमें गेहूँ की उपलब्धता भी पर्याप्त रहे। रेस्टोरेण्ट्स को भी होम डिलीवरी/कम्यूनिटी किचन के लिए खोला जा सकता है।
- 6- विद्यालयों के प्रबन्धकों से यह अपील की जाए कि वे छात्रों की फीस बिना किसी अतिरिक्त शुल्क लिए 01 माह के लिए स्थगित कर दें।

7- कई स्थानों पर बन्दर, गाय, स्वान आदि के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाए।

8- जिलाधिकारी अपने जिले के माननीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क में रहें, शासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी उन्हें दें तथा उनका भी अधिकतम सहयोग प्राप्त करें।


उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

  
06.04.20  
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव

संख्या: \_\_\_\_\_/पीएसएमएस/2020 एवं तदिदनांक

प्रतिलिपि

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह/राजस्व
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।
- 5- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/  
नगर विकास/युवा कल्याण/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/  
वन एवं पर्यावरण
- 6- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

  
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव